कार्यवाही विवरण एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी बैठक दिनांक 28.11.2016

शासन सचिव, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर की अध्यक्षता में दिनांक 28.11.2016 को सांय 4.00 बजे एम्पावर्ड स्टेण्डिग कमेटी की बैठक में M/s Doshion Ltd., Ahmedabad द्वारा अनुबंध संख्या 01/2010-11 के अन्तर्गत संवेदक फर्म को आवंटित कार्य "Construction of intake channel, intake structure, pump house raw water reservoir (Diggi) canal network supplying, laying and fixing GRP pipeline including supplying, laying and installation of mechanical and electrical equipments for Panchana-Gudla lift Scheme, District Karauli." के क्लॉज 23 के तहत प्रस्तुत क्लेम्स पर सुनवाई कर निर्णय लिये जाने हेतु बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में निम्न अधिकारियों ने भाग लियाः–

1. श्री लोकेश तिवाड़ी, संयुक्त विधि परामर्शी प्रतिनिधि, प्रमुख शासन सचिव, विधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्री जाकिर हुसैन, संयुक्त शासन सचिव, प्रतिनिधि प्रमुख शासन सचिव (वित्त विभाग)।
3. श्री विनोद शाह, अतिरिक्त सचिव एवं मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन, राजस्थान जयपुर।
4. श्री दिनेश कुमार, अधीक्षण अभियन्ता (अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जल संसाधन सम्भांग, जयपुर द्वारा अधिकृत)

विभाग की ओर से अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड, करौली उपस्थित हुये तथा संवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुए।

कमेटी द्वारा पूर्व बैठक दिनांक 22.09.2015 को प्रस्तुत क्लेम्स एवं जवाब के सम्बन्ध में दोनों पक्षों की बहस सुनी गयी तत्पश्चात् बैठक दिनांक 18.04.2016 में प्रस्तुत रिजोण्डर एवं रिजोइण्डर के जवाब का अवलोकन किया तथा दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। जिसमें संवेदक द्वारा क्लेम्स के पक्ष में कार्य पर हुई कठिनाईयों के संबंध में ध्यान आकर्षित करना चाहा जिसमें यह अवगत किया कि कार्य की ड्राईग एवं डिजाईन की समय पर अनुमोदित नहीं हुई, किसानों के द्वारा कई जगह अतिक्रमण कर रखे थे, पांचना क्षेत्र में भारी बारिश के कारण बांध का पानी लेवल भरने से इन्टेक वेल्स पूरे भर गये, खेतों में फसले खड़ी थी, विभाग द्वारा कार्य के संबंध में माप नहीं की गई तथा कार्य पर बाधाओं के संबंध में उसको नहीं सुना गया इत्यादि। अधिशाषी अभियन्ता, पांचना खण्ड करौली द्वारा अवगत किया गया कि क्लेमेन्ट एवं विभाग के मध्य निष्पादित अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारम्भ करने की दिनांक 06.06.2010 एवं कार्य समाप्त करने की दिनांक 05.03.2011 थी। कार्य के दौरान संधारित बाधा रजिस्टर में क्लेमेन्ट द्वारा अवगत की गई बाधाओं का कोई उल्लेख नहीं है जिस पर क्लेमेन्ट के हस्ताक्षर भी है। विभाग द्वारा संवेदक को उपयुक्त समय सीमा में ही कार्य की अनुमोदित ड्राईग एवं डिजाइन उपलब्ध करा दी थी क्लेमेन्ट को कार्य की गति बढाने तथा कार्य पूर्ण करने हेतु कई नोटिस दिये गये परन्तु संवेदक द्वारा दिनांक 17.04.2011 को स्वेच्छा से कार्य बंद कर दिया तथा विभाग के काफी समझाईश के बाद दिनांक 01.05.2013 को कार्य पुनः शुरू कर दिनांक 25.06.2013 को पुनः बंद कर दिया गया। अतः क्लेमेन्ट को दिनांक 09.12.2013 को अनुबंध के क्लाज 2 एवं 3 की कार्यवाही किये जाने की चेतावनी के साथ अंतिम नोटिस दिया गया। तत्पश्चात् कार्य पूरा किया जाने का पर्याप्त समय दिये जाने के बाद भी संवेदक द्वारा कार्य नहीं किये जाने के कारण आदेश दिनांक 02.05.2014 से अनुबंध के क्लाज 2 के तहत 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति लगाते हुए क्लाज 3 के तहत संवेदक की लागत एवं जोखिम पर कार्य अन्य संवेदक से कराये जाने हेतु अनुबंध समाप्त कर दिया गया। संवेदक द्वारा दिनांक 25.06.2013 तक अनुबंध राशि 963.73 लाख के विरूद्ध मात्र 531.64 लाख का कार्य ही किया गया जो अनुबंध राशि का मात्र 55.16 प्रतिशत था। अतः

कमेटी द्वारा क्लेम्स, विभागीय जवाब एवं तथ्यों और अभिलेखों का अवलोकन करते हुए क्लेम वाईज निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया:–

1 **पेन्डिंग पेमेन्ट अगेन्स्ट अप्रूड बिल राशि रू. 61757.80/–**

संवेदक द्वारा क्लेम मे टीडीस की अधिक कटौती व अन्य कटौती के भुगतान की माँग की गयी है।

अधिशाषी अभियन्ता ने अवगत कराया कि टीडीएस की कटौती आयकर नियमों के अनुसार नियोक्ता के द्वारा की गई है जो उचित है।

कमेटी द्वारा विचार विमर्श उपरान्त संवेदक का उक्त क्लेम खारिज किया गया।

2 **एल.डी.मे की गयी कटौतिया राशि रू. 2186128.80/–**

संवेदक द्वारा क्लेम के एल.डी. मे की गयी कटौती राशि की मॉग की है।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया कि उक्त राशि संवेदक द्वारा अनुबन्ध की धारा–2 के तहत कार्य की प्रगति संधारित न करने के कारण काटी गयी है। संवेदक द्वारा कार्य अधूरा छोड दिया गया था। अतः उक्त राशि की वसूली रिस्क एण्ड कोस्ट मे आने वाले अतिरिक्त खर्चे मे समायोजित की जायेगी।

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवलोकन कराये गये अभिलेख के अनुसार कमेटी ने पाया कि क्लेमेन्ट द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किया गया जिससे अनुबंध की शर्तों के अनुसार क्षतिपूर्ति लगाई गई है अतः संवेदक का उक्त क्लेम खारिज किया गया।

3 **बैंक गारंटी राशि रू. 9637312/– की वापिसी–**

संवेदक द्वारा बैंक गारंटी राशि लौटाने की मॉग की गयी है।

अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, करौली द्वारा अवगत कराया कि संवेदक द्वारा कार्य अपूर्ण छोडने के कारण अनुबन्ध की शर्तो अनुसार 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि रूपये 9637312/– आरोपित की गयी थी जिसकी वसूली संवेदक की जमा बैंक गारंटी राशि रूपये 9637312/– से एडजस्ट कर वसूल की जा चुकी है, जो नियमानुसार है।

प्रस्तुत किये गये रिकार्ड के अनुसार बैंक गारन्टी की राशि क्षतिपूर्ति के विरूद्ध समायोजित की गई है अतः कमेटी द्वारा उक्त क्लेम खारिज किया गया।

4 **पेन्डिग पेमेन्ट के विरूद्ध ब्याज राशि रू. 100838.17/–**

संवेदक द्वारा पेन्डिग पेमेन्ट के विरूद्ध ब्याज राशि 14 प्रतिशत की दर से मॉग की गयी है।

अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, करौली द्वारा अवगत कराया कि संवेदक का किसी प्रकार का भुगतान करना शेष नही है। अतः ब्याज की मॉग आधारहीन है।

क्लेमेन्ट का कोई क्लेम लम्बित नहीं पाया गया अतः संवेदक का उक्त क्लेम खारिज किया गया।

5 **बैंक गारंटी पर फाइनेन्सियल चार्जेज की मॉग रू. 2915866/–**

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया कि संवेदक की बैंक गारंटी राशि विभाग द्वारा बकाया वसूली हेतु जब्त की गई है अतः यह मांग उचित नहीं है।

कमेटी ने पाया कि विभाग द्वारा वसूली के विरूद्ध बैंक गारन्टी इनकेश की गई है। अतः उक्त क्लेम खारिज किया गया।

6 **साईट स्टाफ की सैलरी की मॉग रू. 2124508/–**

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया कि साईट स्टाफ की सेलेरी संवेदक द्वारा ही देनी होती है। संवेदक को अनुबंध के अनुसार निर्धारित राशि पर निर्धारित कार्य करना होता है। जिसके श्रम, सामग्री एवं मशीनों की व्यवस्था स्वयं के स्तर पर ही करनी होती है।

संवेदक द्वारा ऐसी किसी शर्त एवं नियम का अवलोकन नहीं कराया जिससे यह प्रकट होता हो कि उसके स्टाफ की सैलेरी देने की जिम्मेदारी विभाग की हैं। अतः कमेटी द्वारा उक्त क्लेम खारिज किया गया।

7 **गेस्टहाऊस किराया ट्रान्सपोरटेशन, सेनेटरी, मोवाईल/कम्यूनिकेशन इत्यादि राशि रूपये 85,29,377/–**

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया कि संवेदक द्वारा जो मॉग की गयी है वह अनुबन्ध की शर्तो के विपरीत है एवं देय नही है।

कमेटी द्वारा गहन विचार विमर्श उपरान्त पाया कि क्लेम की देयता विभाग की नहीं होने के कारण उक्त क्लेम खारिज किया गया।

8 **हैडक्वाटर स्टाफ की सेलेरी व ट्रेवलिग खर्चे व अन्य राशि रू. 11573319.30/–**

अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड करौली द्वारा अवगत कराया कि संवेदक द्वारा हैडक्वाटर स्टाफ की सेलेरी व अन्य राशि की मॉग की गयी है वह अनुबन्ध की शर्तो के विपरीत है। अतः संवेदक का क्लेम मान्य नही है।

कमेटी द्वारा गहन विचार विमर्श उपरान्त क्लेम की देयता विभाग की नहीं होने के कारण उक्त क्लेम खारिज किया गया।

9 **पेमेन्ट ऑफ डिजाईन एण्ड इन्जिनियरिग एण्ड अप्रूवल जार्चेज ऑफ री–डिजाईन ऑफ इनटेक वेल इत्यादि राशि रू. 2500000/–**

अधिशाषी अभियन्ता द्वारा अवगत कराया कि अनुबन्ध की विशेष शर्तो अनुसार डिजाईन व ड्राइंग का कार्य संवेदक को स्वयं के खर्चे पर कराना था एवं अनुबन्ध के क्लाज संख्या 13 अनुसार यदि डिजाईन व ड्राइंग मे किसी प्रकार का वदलाव होता है तो संवेदक को किसी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान देय नही होगा।

कमेटी द्वारा अनुबंध की शर्तो का अवलोकन करते हुए गहन विचार विमर्श उपरान्त संवेदक का उक्त क्लेम खारिज किया गया।

10 **गेन प्रीवेन्टेड (नेट लोश आन एकाउन्ट ऑफ लेसर आउटरर्न) एण्ड अन्डर यूटिलाईजेसन ऑफ कन्सट्रक्शन इक्यूपमेन्ट इत्यादि राशि रू. 81613258/–**

अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, करौली द्वारा अवगत कराया कि विभाग की तरफ से निर्माण कार्य मे किसी भी प्रकार की रूकावट नही की थी। संवेदक समय पर डिजाईन ड्राइंग व निर्माण कार्य करने मे असफल रहा। संवेदक द्वारा उक्त कार्य 9 माह मे पूर्ण करना था, परन्तु संवेदक द्वारा उक्त कार्य तीन वर्ष से भी अधिक अवधि लेने के उपरान्त भी कार्य अपूर्ण छोडा गया। इस प्रकार संवेदक द्वारा उक्त क्लेम की मॉग निराधार है।

कमेटी द्वारा प्रस्तुत अभिलेख एवं तथ्यों का अवलोकन उपरान्त प्रस्तुत क्लेम निराधार पाया गया अतः विचार विमर्श उपरान्त संवेदक का उक्त क्लेम खारिज किया गया।

11 लीगल चार्जेज कोर्ट फीस, बकील फीस, लीगल खर्चे व 2 प्रतिशत डिस्पूट सैटलमेन्ट राशि रू. 450000/–

अधिशाषी अभियन्ता जल संसाधन खण्ड, करौली द्वारा अवगत कराया कि संवेदक द्वारा कार्य अपूर्ण छोडा गया एवं विभाग द्वारा अनुबन्ध अनुसार संवेदक के विरूद्ध क्षतिपूर्ति आरोपित की गयी है। संवेदक द्वारा प्रस्तुत क्लेम व रिजोइण्डर का समय पर विस्तृत जबाव प्रस्तुत किया गया है जो कि रिकार्ड पर उपलब्ध है। संवेदक द्वारा प्रस्तुत क्लेम्स को कमेटी द्वारा आधारहीन पाये गये है। अतः प्रस्तुत यह क्लेम निराधार होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। कमेटी द्वारा गहन विचार विमर्श उपरान्त संवेदक का उक्त क्लेम खारिज किया गया।

कमेटी के सभी सदस्यों द्वारा गहन विचार विमर्श उपरान्त संवेदक द्वारा प्रस्तुत सभी 11 क्लेमों को खारिज करने का निर्णय लिया गया।

(दिनेश कुमार)	(विनोद शाह)	(लोकेश त्रिपाठी)	(जाकिर हुसैन)	(शिखर अग्रवाल)
अति. मुख्य अभियन्ता,	अति. सचिव एवं	संयुक्त विधि परामर्शी	संयुक्त शासन सचिव	शासन सचिव
जल संसाधन सम्भाग,	मुख्य अभियन्ता,	प्रतिनिधि विधि विभाग	प्रतिनिधि वित्त विभाग	जल संसाधन विभाग
जयपुर	जल संसाधन राज, जयपुर			राजस्थान, जयपुर।